

I/19767/2023

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
कर्मयोगी भवन, चतुर्थ माला, ब्लॉक-2, सी
विंग, सेक्टर-10A गांधीनगर,
गुजरात, 382010



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of Regional Controller of Mines
Karmayogi Bhavan, 4th Floor, Block-2, Sector10A,
Gandhinagar, Gujarat-382010

Tel: 079 29750358 / 29750359; ई-मेल/E-mail: ro.gandhinagar@ibm.gov.in

फाइलसंख्या/File No MCDR-MiFLOLST/176/2022-GNR-IBM_RO_GNR
38GUJ21022

ID- दिनांक :
.11.2023

सेवामें To: Owner/Agent/Manager/Mining Engineer
प्रेषित: Sh. Babubhai Lilabhai Keshwala
R/o- Nageshwar Park, National Park,
Po-Te: Ranavav, Dist.-Porbandar,
Gujarat-360570

E-mail: jkmshivshakti@gmail.com,
keshwala03882@gmail.com

विषय Sub: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Aniyari Limestone Mine{20/p} over an area of 2.00 ha. located near Village- Aniyari, Tehsil- Ranavav, District-Porbandar in Gujarat.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation & Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection carried out by Sh. Snehalkumar Patel, AME on 03/09/2023 (AN) in the presence of your representative Shri C M Divedi & Team.

RULE NO.	NATURE OF VIOLATION OBSERVED
11(1)	The Mining operation are being carried out in violation of the following provision of the approved mining plan, which was approved vide letter no. 684(4)(1)/MP-334/2021-22-GNR Dated-17-08-2021 for the period 2021-22 to 2023-24. (a) It was proposed that in the year 2022-23, Plantation of plants were proposed as 150 Nos. and Fencing was proposed as 950m., however, it was observed that the above proposals were not carried out as proposed in the approved Review of Mining Plan. (b) Configuration of bench is not maintained as per proposal in Mining Plan.

- इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
- खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम संख्या 11(1) तथा अन्य नियमों की पालना नहीं होने से व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से खनन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः उपरोक्त नियमों की पालना नहीं करने पर नियम 11(2) के अंतर्गत खनन क्रियाएं स्थगित (निलंबित) की जा सकती हैं अथवा राज्य सरकार को उचित कार्यवाही करने की अनुशंसा भी की जा सकती है।
- अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अति शीघ्र सुधार कर इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।
- यह उल्लंघन पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक के अनुमोदन पश्चात जारी किया जा रहा है।

भवदीय Yours faithfully,

(मनीष गुप्ता /Manish Gupta)

सहायक खान नियंत्रक/Assistant Controller of Mines

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1- खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर।(zo.udaiapur@ibm.gov.in)

2- आयुक्त, भूविज्ञान एवं खनन, निदेशालय, गुजरात को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
(cgm@gujarat.gov.in)

3- MCDR/गाई फाइल

सहायक खान नियंत्रक/Assistant Controller of Mines